

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)

लखनऊ, दिनांक: 10 सितम्बर, 2013

विषय: शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेण्डा वर्ष 2013-14 में निर्धारित सूत्र संख्या-166 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार 10 विभागों में दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के सम्बन्ध में यह एक उल्लेखनीय प्रयास है। प्रथम चरण में शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक), राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, पिकलांग कल्याण, आई. टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का चयन किया गया है। दिनांक 01.11.2013 से इस व्यवस्था को शासन के 25 अन्य विभागों में एवं दिनांक 01.01.2014 से इसे समस्त विभागों में लागू कर दिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रथम चरण में चयनित विभागों द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं अपलोड करने की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं इसकी नियमित समीक्षा की जाए जिससे कि व्यवस्था को लागू करने में आने वाले अवरोधों के कारण कोई गतिरोध उत्पन्न न होने पाये। किसी भी अवस्था में इन विभागों में कोई भी शासनादेश मैनुअली जारी न हो एवं ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रथम चरण में चयनित विभागों में दिनांक 01.09.2013 के उपरान्त जारी होने वाले शासनादेश <http://shasanadesh.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इन विभागों में दिनांक 15.09.2013 के उपरान्त किसी भी शासनादेश को वैध तभी माना जाये जब वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो। चयनित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव कृपया अपने-अपने विभागों में शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं अपलोड करने की कार्यवाही एवं उपरोक्त वेबसाइट का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु यथावश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे कि शासन की प्राथमिकता वाली इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

भवदीय,


(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

2183/15/11
JDS/VS

इस सम्बन्ध में
दिनांक 11/9/13
वेब 3:30 PM पर

11/9/13

S.O.3



71/05/13
(संजय कुमार उपोध्यक्ष)
उप सचिव

परिवहन
उत्तर प्रदेश शासन